

सं. ए-12018/15/2014-एमएच.॥


भारत सरकार  
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय  
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय

\*\*\*\*\*

विषय: सीरम विज्ञान संस्थान, कोलकाता में प्रधान लिपिक के पद के भर्ती नियम का मसौदा पर आम नोटिस।

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. AB-14017/61/2008-Estt.(RR) दिनांक 13.10.2015 के अनुपालन में सीरम विज्ञान संस्थान, कोलकाता में प्रधान लिपिक के पद के भर्ती नियम का मसौदा संलग्न किया जाता है।

भर्ती नियम के मसौदे पर कोई आपत्ति/टिप्पण अथवा सुझाव देने को इच्छुक स्टेकहोल्डर्स, भर्ती नियम के मसौदे के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के अंदर श्री वी. प्रसाद, उपनिदेशक (एमएच), कमरा सं. 559, ए-विंग, निर्माण भवन, मौलाना आज़ाद रोड, नई दिल्ली — 110011 अथवा इमेल पता: v.prasad@nic.in पर लिखित में दे सकते हैं।

  
(एम.के. चौधुरी)  
निदेशक

दूरभाष: 23061015

नई दिल्ली  
दिनांक:

(भारतकेराजपत्रभाग||, खण्ड-3, उपखण्ड (i)में प्रकाशनार्थ)

भारतसरकार  
स्वास्थ्यएवंपरिवारकल्याणमंत्रालय

अधिसूचना

नईदिल्ली, तारीख :

2017

सा.का.नि. . . . . राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सीरम विज्ञान संस्थान, कलकत्ता (स्तर III और IV पद) भर्ती नियम, 1966, जहाँ तक उसका संबंध मुख्य लिपिक के पद से है, को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, सीरम विज्ञान संस्थान, कलकत्ता, में मुख्य लिपिक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, सीरम विज्ञान संस्थान, कलकत्ता, मुख्य लिपिक, समूह 'ख' पद, भर्ती नियम, 2018 है।  
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, पे-मेट्रिक्स में लेवल- उक्त पदकी संख्या, उसका वर्गीकरण और पे-मेट्रिक्स में लेवल वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अन्य अहंताएं आदि- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अहंताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरहता : वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुजेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

## अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मेट्रिक्स में लेवल	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मुख्य लिपिक	01*(2018)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अनुसंचिवीय	लेवल-6 (35400-112400)	चयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(7)  लागू नहीं होता।	(8)  लागू नहीं होता।	(9)  पदोन्नति हुए हेतु दो वर्ष।	(10)  पदोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति

प्रोन्नति /प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति /प्रतिनियुक्ति /आमेलन किया जाएगा ।

11

**पदोन्नति :**

उच्च श्रेणी लिपिक के पद से पदोन्नति जिन्होंने वेतन मेट्रिक्स के लेवल में 10 वर्ष नियमित सेवा की हो।

**प्रतिनियुक्ति :**

ऐसे अधिकारी जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों,

अथवा

केन्द्रीय सरकारों या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या विश्वविद्यालयों के ऐसे अधिकारी जो मूल काड़र या विभाग में नियमित आधार पर अवर श्रेणी लिपिक के पद पर 10 वर्ष की सेवा लेवल-4 या समकक्ष में की हो।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना ।

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(12)

(13)

**विभागीय प्रोन्नति समिति:**

1. अपर अथवा वरिष्ठतम सहायक सीरमविज्ञानी, सीरम विज्ञान संस्थान, कोलकाता
2. सहायक सीरमविज्ञानी, सीरम विज्ञान संस्थान, कोलकाता
3. सहायक सीरमविज्ञानी, सीरम विज्ञान संस्थान, कोलकाता
4. कोलकाता में अन्य केंद्रीय सरकार कार्यालय से एक राजपत्रित अधिकारी

- अध्यक्ष
- सदस्य
- सदस्य
- सदस्य

लागू नहीं होता

**विभागीय पुष्टि समिति:**

1. अपर अथवा वरिष्ठतम सहायक सीरमविज्ञानी, सीरम विज्ञान संस्थान, कोलकाता
2. सहायक सीरमविज्ञानी, सीरम विज्ञान संस्थान, कोलकाता
3. सहायक सीरमविज्ञानी, सीरम विज्ञान संस्थान, कोलकाता
4. कोलकाता में अन्य केंद्रीय सरकार कार्यालय से एक राजपत्रित अधिकारी

- अध्यक्ष
- सदस्य
- सदस्य
- सदस्य

[ए.12018/15/2014-एमएच-II]

(बी.एल. मीणा)

अवर सचिव, भारत सरकार